

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक - प.2(2)न्याय/2019


जयपुर, दिनांक

26 SEP 2019

-:अधिसूचना:-

सिविल न्यायाधीश (उत्तर) कोटा व सिविल न्यायाधीश (दक्षिण) कोटा तथा अपर सिविल न्यायाधीश (उत्तर) संख्या-1 कोटा व अपर सिविल न्यायाधीश (दक्षिण) संख्या-1 कोटा की अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमाओं को पुनः नियत करने के संबंध में जारी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.06.2019 की क्रम संख्या 4 की कॉलम संख्या 4 की प्रथम पंक्ति में अंकित "नगर निगम अजमेर" के स्थान पर "नगर निगम कोटा" पढ़ा जाये।


राज्यपाल के आदेश से


26.9.19
(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर/ जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ पुलिस अधीक्षक, कोटा।
9. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली ।


26.9.19
(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव